

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....72...../2026
सं०सं० अ०नि०(01) 49/2020/स्था०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2021(24) दिनांक 11.12.2025 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश अदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री अरुण कुमार गुप्ता, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सिवान को पूर्व में निर्गत अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-07/2026 -सह-पठित ज्ञापांक 113 दिनांक 09.01.2026 को निरस्त करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 29.09.2024 से 06.10.2024 तक कुल 08 (आठ) दिन, दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 13.12.2024 तक कुल 54 (चौवन) दिन एवं दिनांक 01.06.2025 से दिनांक 23.06.2025 तक कुल 23 (तेईस) दिन कुल-08+54+23=85 (पचासी) दिनों का पत्नी की चिकित्सा हेतु उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(अजीत कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि०(01) 49/2020/स्था०..... दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/मुख्य अभियोजक, सिवान/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ श्री अरुण कुमार गुप्ता, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
उप सचिव।

ज्ञापांक अ०नि० (01) 49/2020/स्था० 549 दिनांक 25/2/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/2/26
उप सचिव।

Adakar